अनवान नरसिंगाराम बनाम मांगीलाल

मुकदमा नंबर 31 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए
05.05.25 (05.05.25)	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 1,2,7 से 16 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। विप्रार्थी संख्या 3 से 6 के ओर से अधिवक्ता खीमाराम आकबल उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 3 से 6 द्वारा जवाब पेश करने के कई अवसर लिये जाने के पश्चात भी जवाब पेश नहीं करने के कारण विप्रार्थी संख्या 3 से 6 का जवाब देने का अवसर बंद किया जाता है। दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से विप्रार्थीगण माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि का नेखमबंदी का आदेश फरमाया जावे। विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि विप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर कभी भी अतिक्रमण या कब्जा नहीं किया गया विप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाया जावे। हमने दोनो पक्षों की विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरता से अवलोकन व मनन किया। प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि पर नेखम कायम करना चाहते है जिस बाबत विप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना के खसरा संख्या 2026/915 रकबा 1.2950 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/— रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे, आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो।पालना रिपोर्ट प्राप्त पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.22 12:47:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक/2025/1053 दिनांक : 20-05-2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
नरसिंगराम पुत्र ओखाराम		मांगीलाल पुत्र केशाराम वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 31/2021 दिनांक :– 05.05.2025

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 2026/915 रकबा 1.2950 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000/–प्रार्थीगण मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक /2025/1054 दिनांक : 20-05-2025

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी मोकलसर तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी नरसिंग पुत्र ओखाराम जाति मेघवाल निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.22 12:47:15 IST
Reason: SelfAttested